दिनांक ..12-4-23.... का पर्चा हाकिम

12-04-2023 पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार उपस्थित। उभय की प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-212 राजस्थान काश्त. अधि. 1955 पर बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अप्रार्थिया संख्या-01 ने ग्राम जाजोता की वादग्रस्त आराजी ख॰न॰ 917/633 रकबा 07-02-15 बीघा में से 06-00 बीघा भूमि पर अवैध रूप से बजरी का खनन किया है। अप्रार्थी का उक्त कार्य कृषि भूमि का अकृषि कार्य करने की श्रेणी मे आता है। अप्रार्थियां ने बिना किसी सक्षम स्वीकृति के कृषि भूमि का अकृषिक कार्यो मे उपयोग किया है जो धारा-177 राज॰ काश्त॰ एक्ट 1955 के अंतर्गत अवैध है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक पूर्व मे जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जावे। वकील अप्रार्थिया-01 के वकील ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थिया की निजी खातेदारी भूमि है। अप्रार्थिया द्वारा किसी भी प्रकार से बजरी का अवैध खनन नही किया है और ना ही मौके पर किसी प्रकार के गड्ढे है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दू प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध होते है। अतः उपरोक्त विवेचन, बहस एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व मे जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12-04-2023 को मेरे द्वारा लिखाकर सरे-इजलास सुनाया गया।

12-04-23

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:38:21 IST
Reason: SelfAttested